



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर, शिविर भोपाल म.प्र.

---

रा. पु. याचिका क्रं. - P 2646 PBA/14

प्रस्तुत दि० - 14/8/14

याचिकाकर्ता - मधुसूदन आत्मज प्रदीप कुमार दुबे, जाति ब्राह्मण,  
उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी जवाहर चौक भोपाल म.

बनाम

उत्तरवादी - संजय कुमार आत्मज श्रीकृष्ण गौर जाति कुडमी,  
निवासी - रसुलिया होशंगाबाद तहसील व जिला  
होशंगाबाद म.प्र.

श्री जीवन लाल लुनिया  
अभिभाषक द्वारा आज दिनांक  
14-8-14 को भोपाल केम्प  
पर प्रस्तुत।

JMB  
14-8-14

20-8-14

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं.

---

याचिकाकर्ता निम्नानुसार निवेदन करता है -

§18- यह कि, याचिकाकर्ता अधीक्षक भूअभिलेख होशंगाबाद द्वारा  
पारित आदेश दिनांक 25.04.2014 <sup>उप. एवं 4/6/14 सीमांकन दिनांक</sup> जिसका क्रमांक 1242/भू-अ/  
पी.जी. सेल नं. 523/2014 है जो कि ग्राम चंदवार तहसील डोलरि  
स्थित भूमि ख.नं. 85/1, रकबा 2.059 हे० तथा ख.नं. 89/1,  
रकबा 0.833 हे० कुल योग रकबा 2.942 हे० से विच्छुब्ध व दुखी  
होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत  
करता है -

याचिका के तथ्य


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 2646-पीबीआर/14

जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2014	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अधीक्षक, भू-अभिलेख के आदेश दिनांक 25-4-2014 एवं सीमाकन कार्यवाही दिनांक 4-6-2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । प्रथमतः आवेदक की ओर से अधीक्षक भू-अभिलेख के आदेश दिनांक 25-4-2014 एवं सीमाकन कार्यवाही दिनांक 4-6-2014 के विरुद्ध एक ही निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि विधि अनुसार आदेश एवं कार्यवाही के विरुद्ध पृथक-पृथक निगरानी प्रस्तुत की जानी चाहिये थी । इसके अतिरिक्त अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा आदेश दिनांक 25-4-2014 से सीमाकन दल का गठन किया गया है और दिनांक 4-6-2014 को सीमाकन कार्यवाही की गई है, अभी प्रकरण में सीमाकन आदेश पारित नहीं किया गया है, अतः आवेदक को अधीक्षक भू-अभिलेख के समक्ष सुनवाई का अवसर उपलब्ध है, और वह इस न्यायालय में उठाये गये आधारों को उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	

  
 (स्वदीप सिंह)  
 अध्यक्ष